18-12-19 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी अनुपस्थित। प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट पर बहस एकपक्षीय विगत सुनवाई पर सुनी जा चुकी है।

बहस के दौराने प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि मात्र राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज होने के कारण विपक्षी क्रम 01 प्रार्थी की कब्जे काश्त आराजीयात को खुर्द बुर्द करने एवं प्रार्थीगण को बेदखल करने पर आमादा है।

अत: प्रकरण मे मूल वाद के निस्तारण तक आस्थाई निषेधाज्ञा से विपक्षी संख्या 01 को स्वयं की खातेदारी आराजी पर रेकार्ड एवं मौके कि यथास्थिती बनाये रखने बाबत पाबंद किया जाना फरमावे,

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर गौर किया गया। पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमी विपक्षी के खाते की कृषि भूमि है और इस पर स्वयं विपक्षी को रेकार्ड एवं मौके कि यथास्थिती बनाये रखने बाबत पांबद किया जाना न्यायालय

उचित नही समझता है। मौजूदा रान प्रार्थनापत्र से प्रार्थी को किसी प्रकार का असंतोष किया जाना न्यायालय उचित नही समझता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र, प्रार्थी तथ्य सिद्ध कराने मे असफल रहने से अस्वीकार किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
फूलियाकलाँ (भीलवाड़ा) राज